न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :— श्री अशोक कुमार , आर. ए. एस.

वाद संख्या :— 44 / 2024

उनवान

1. महमुद खां पुत्र श्री मुनीर खां,
2. इस्माईल खां पुत्र मुनीर खां
3. शब्बीर पुत्री यासीन खां
4. बशीर खां पुत्र यासीन खां
5. कल्सुम बानो पत्नि यामीन खाँ पक्ष
6. मकबुल अहमद पुत्र यासीन खां समस्त जाति मुसलमान, निवासी शिवपुरी, मनोहरपुर, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)
7. मुकेश कुमार यादव पुत्र श्री छीतरमल यादव, जाति अहीर, निवासी बावडी की ढाणी घासीपुरा, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

— वादीगण

बनाम

1. अहसान अहमद पुत्र श्री यामीन खां
2. इमरान खान पुत्र यामीन खाँ
3. इरफान खान पुत्र यामीन खाँ
4. सलमा बेगन पुत्री यामीन खाँ
5. राबिया पुत्री यामीन खाँ
6. जरीना पुत्री यासीन खाँ
7. जैतून पुत्री यासीन खाँ

   समस्त जाति मुसलमान, निवासी शिवपुरी, मनोहरपुर, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)
8. उपपंजीयक गनोहरपुर, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :— 10/7/2024

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि यहकि हाल आराजी खसरा नं0—7417 रकबा 0.6400 है० कुल किता—1 कुल रकबा 0. 6400 वाकै ग्राम शिवपुरी,

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिसकी वर्तमान में खातेदारी वादीगण व प्रतिवादी सं०–1 लगायत 7 के नाम जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड है। जमाबन्दी सं0–2074 से 2077 खाता सं0–15 में दर्ज अनुसार राजस्व रिकार्ड में अकित है जमाबन्दी सलग्न वाद पत्र है। हाल आराजी खसरा नं0–7415 रकबा 0.5200 है०, व हाल आराजी खसरा नं0–7416 रकबा 0.4600 है० कुल किता–2 कुल रकबा 0.9800 है० वाके ग्राम शिवपुरी, तहसील–शाहपुरा, जिला जगपुर राजस्थान में स्थित है। जिसकी वर्तमान में खातेदारी वादी सं०–1 लगायत 6 व प्रतिवादी सं०–1 लगायत 7 के नाम जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड है। जमाबन्दी स०–2074 से 2077 खाता सं0–15 में दर्ज अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित है जमाबन्दी संलग्न याद पत्र है। यहकि वाद पत्र के जिमन नं0–1 व 2 में वर्णित भूमि पर वादीगण तथा प्रतिवादी सं०–1 लगायत 5 राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने अपने हिस्से अनुसार उक्त आराजी खसरा नम्बरान की भूमि पर शामिल में ही काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है उक्त भूमि का खातेदारान के मध्य कभी कोई कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है प्रतिवादीगण के मन में दुर्भावना आ गयी है और उन्होने वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना लिया है और वादीगण को उनके हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत व अडचन पैदा करने लग गये है तथा उक्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करने व वादीगण को उनके हिस्सों की भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा है तथा उक्त विवादित आराजी मुतनाजा के ऊपजाऊ व विशिष्ट भू–भाग का बेचान दीगर व्यक्तियो के पक्ष में करने पर आमादा है। अभी 10–15 दिन पूर्व प्रतिवादी सं०–1 लगायत 5 अपने परिवार सहित उक्त विवादित आराजी गुतनाजा पर आये और उक्त विवादित भूमि की नाप जोख करने लगे तो वादीगण ने नाप जोख का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम उक्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करेगे तथा भूमि का बेचान करेगे जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को मना किया कि ओर कहा कि अभी अपनी भूमि का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है तथा आपको किसी भी विशिष्ट भू–भाग को बिना बंटवारा करवाये बेचान करने व निर्माण कार्य करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है जिस पर प्रतिवादीगण ने एलानियां कहा कि हम तो बिना तकास्मा कराये ही उक्त विवादित भूमि के विशिष्ट व उपजाऊ भू–भाग का बेचान दीगर अजनबी व्यक्तियो को करेगे तथा निर्माण कार्य करके रहेंगे इस प्रकार प्रतिवादीगण की हरकतों से स्पष्ट है कि वे सहखातेदारी में नहीं रहना चाहते है व उक्त भूमि का बिना तकास्मा कराये ही विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करने व बेचान करने को आमादा फिसाद है इसलिये वादीगण को

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी सं०–1 लगायत 5 के विरूद्ध अधिकार हासिल है कि न्यायालय श्रीमान् द्वारा उक्त विवादित भूमि का मौके पर काबिज काश्त के अनुसार बंटवारा कराया जाकर वादी के हिस्से में आयी भूमि का पर्चा लगान अलग अलग निर्धारित करावे। यहकि यदि प्रतिवादीगण अपने अवैध मन्सूबो में सफल हो गये और उन्होने आराजी मुतनाजा का बिना बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग पर पुख्ता निर्माण कार्य कर लिया या आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग को दीगर व्यक्तियो को बेचान कर उनके पक्ष में अन्तरण डीड पंजीबद्ध करवाकर व आराजी के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाकर वादीगण को आराजी मुतनाजा से जबरन बेदखल कर आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग पर अजनबी व्यक्तियो का कब्जा करवा देगे तो इससे वादीगण के खातेदारी हक अधिकारो का हनन होगा जिससे वादीगण को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में संभव नहीं हो सकेगी तथा पक्षकारो में अनावश्यक मुकदमें बाजी बढ़ेगी इस कारण वादीगण को यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध आराजी का बंटवारा करवाने व उन्हे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नं0–7417 रकबा 0.6400 है० कुल किता–1 कुल रकबा 0. 6400 है० वाकै ग्राम शिवपुरी, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर एवं हाल आराजी खसरा नं0–7415 रकबा 0.5200 है०, व हाल आराजी खसरा नं0–7416 रकबा 0.4600 है0 कुल किता–2 कुल रकबा 0.9800 है० वाकै ग्राम शिवपुरी, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर का वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर काबिज व राजस्व बोर्ड के नियमो के आधार पर कानूनी बंटवारा करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। एवं प्रतिवादीगण व उनके नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि को स्थायी निषेवाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे हाल आराजी खसरा नं0–7417 रकबा 0.6400 है० कुल किता–1 कुल रकबा 0.6400 है० वाकै ग्राम शिवपुरी, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर एवं हाल आराजी खसरा नं0–7415 रकबा 0.5200 है०, व हाल आराजी खसरा नं0–7416 रकबा 0.4600 है० कुल किता–2 कुल रकबा 0.9800 है० वाकै ग्राम शिवपुरी, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में बाद बंटवारा वादी के हिस्से में आयी भूमि के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करे जबकि वादी को शांति पूर्वक अपनी आराजी का उपयोग उपभोग करने देवे, आराजी मुतनाजा को दीगर व्यक्तियो को रहन बयहस्तान्तरण नहीं करे, आराजी मुतनाजा पर किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करे।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (ज़िला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधीवत सम्मन जारी किये गये। प्रकरण में दिनांक 26.06.2024 को प्रतिवादीगण बावजूद सूचना एवं तामील के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं वकील वादी ने प्रकरण को प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने से एवं प्रकरण बंटवारा का होने से प्रकरण को दिनांक 26.06.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार तहसील शाहपुरा को बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने बाबत् आदेशित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/3445 दिनांक 05.07.2024 के द्वारा प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से दावा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील वादी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया । अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि प्रकरण में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से एवं वकील वादी द्वारा कोई आपत्ति प्रार्थना–पत्र पेश नहीं करने से जाहिर होता है कि वकील वादी कुर्रेजात रिपोर्ट से सहमत है। अतः दावा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अन्तिम डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नं0–7417 रकबा 0.6400 है० कुल किता–1 कुल रकबा 0.6400 है० वाकै ग्राम शिवपुरी, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर एवं हाल आराजी खसरा नं0–7415 रकबा 0.5200 है०, व हाल आराजी खसरा नं0–7416 रकबा 0.4600 है0 कुल किता–2 कुल रकबा 0.9800 है० वाकै ग्राम शिवपुरी, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

1. अहसानअहमद, इमरानखान, इरफानखान पुत्रान यामीन खां, सलमाबेगम पुत्री यामीन खां हिस्सा 92/923, जैतुन, जरीना, राबिया पुत्रीया यासीनखां हिस्सा 831/923 जाति मुसलमान सा0 खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7415/1 रकबा 0.0460 है0, 7416/1 रकबा 0.0463 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0923 है0 भूमि रहेगी।
2. मुकेश कुमार यादव पुत्र छीतरमल यादव हि0 3291/6400 जाति अहीर निवासी बावडी की ढाणी, घासीपुरा, ईस्माईलखां पुत्र मुनीरखां हि0 952/6400, महमूदखां पुत्र मुनीर खां हि0 952/6400, कल्सुम बानो पत्नि

सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

यामीनखां हि0 1205/6400 समस्त जाति मुसलमान सा0 खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7417 रकबा 0.6400 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.6400 है0 भूमि रहेगी।

3. इस्माईलखां पुत्र मुनीरखां हि0 2299/8877, महमूदखां पुत्र मुनीर खां हि0 2299/8877, कल्सुम बानो पत्नि यामीनखां हि0 919/8877, जावेदखां पुत्र मकबूलअहमद हि0 1120/8877, बशीरखां पुत्र यामीनखां हि0 1120/8877, शब्बीर पुत्र यासीनखां हि0 1120/8877 समस्त जाति मुसलमान सा0 खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7415/2 रकबा 0.4740 है0, 7416/2 रकबा 0.4137 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.8877 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10/7/2024 को सरै इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर, ग्रामीण

न्यायालय सहायक कलक्टर
सत्यमेव जयते
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 44/2024

उनवान

1. महमुद खां पुत्र श्री मुनीर खां,
2. इस्माईल खां पुत्र मुनीर खां
3. शब्बीर पुत्री यासीन खां
4. बशीर खां पुत्र यासीन खां
5. कल्सुम बानो पत्नि यामीन खाँ पक्ष
6. मकबुल अहमद पुत्र यासीन खां समस्त जाति मुसलमान, निवासी शिवपुरी, मनोहरपुर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)
7. मुकेश कुमार यादव पुत्र श्री छीतरमल यादव, जाति अहीर, निवासी बावडी की ढाणी घासीपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

– वादीगण

बनाम

1. अहसान अहमद पुत्र श्री यामीन खां
2. इमरान खान पुत्र यामीन खाँ
3. इरफान खान पुत्र यामीन खाँ
4. सलमा बेगन पुत्री यामीन खाँ
5. राबिया पुत्री यामीन खाँ
6. जरीना पुत्री यासीन खाँ
7. जैतून पुत्री यासीन खाँ

   समस्त जाति मुसलमान, निवासी शिवपुरी, मनोहरपुर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

8. उपपंजीयक गनोहरपुर, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

– प्रतिवादीगण

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 10/7/2024

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अन्तिम डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नं0–7417 रकबा 0.6400 है० कुल किता–1 कुल रकबा 0.6400 है० वाकै ग्राम शिवपुरी, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर एवं हाल आराजी खसरा नं0–7415

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.5200 है०, व हाल आराजी खसरा नं0–7416 रकबा 0.4600 है0 कुल किता–2 कुल रकबा 0.9800 है० वाकै ग्राम शिवपुरी, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

1. अहसानअहमद, इमरानखान, इरफानखान पुत्रान यामीन खां, सलमाबेगम पुत्री यामीन खां हिस्सा 92/923, जैतुन, जरीना, राबिया पुत्रीया यासीनखां हिस्सा 831/923 जाति मुसलमान सा0 खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7415/1 रकबा 0.0460 है0, 7416/1 रकबा 0.0463 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0923 है0 भूमि रहेगी।
2. मुकेश कुमार यादव पुत्र छीतरमल यादव हि0 3291/6400 जाति अहीर निवासी बावडी की ढाणी, घासीपुरा, ईस्माईलखां पुत्र मुनीरखां हि0 952/6400, महमूदखां पुत्र मुनीर खां हि0 952/6400, कल्सुम बानो पत्नि यामीनखां हि0 1205/6400 समस्त जाति मुसलमान सा0 खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7417 रकबा 0.6400 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.6400 है0 भूमि रहेगी।
3. इस्माईलखां पुत्र मुनीरखां हि0 2299/8877, महमूदखां पुत्र मुनीर खां हि0 2299/8877, कल्सुम बानो पत्नि यामीनखां हि0 919/8877, जावेदखां पुत्र मकबूलअहमद हि0 1120/8877, बशीरखां पुत्र यामीनखां हि0 1120/8877, शब्बीर पुत्र यासीनखां हि0 1120/8877 समस्त जाति मुसलमान सा0 खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7415/2 रकबा 0.4740 है0, 7416/2 रकबा 0.4137 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.8877 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो।

आज दिनांक को उक्त डिक्री 10/7/2024 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.
शाहपुरा, जिला जयपुर, ग्रामीण

वाद के खर्च

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned with OKEN Scanner